रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268960
CG-DL-E-31122025-268960

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 840] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 2025/पौष 8, 1947
No. 840] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2025/PAUSHA 8, 1947

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 926(अ).— केंद्रीय सरकार ने, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (फ) के साथ पठित धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (झ), खंड (ड) और खंड (ढ) तथा धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, सा.का.नि. 549(अ), तारीख 26 मई, 2016 द्वारा ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि) नियम, 2016 और सा.का.नि. 311(अ), तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि) नियम, 2017 को अधिसूचित किया था; और दोनों निधियों का उद्देश्य भारत में ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण में तेजी लाना था;

और उपरोक्त दोनों निधियों की 11 सितंबर, 2025 को समीक्षा की गई थी और इन निधियों को बंद करने का विनिश्चय किया गया था और निधि के प्रशासन के लिए गठित न्यास के विघटन की उचित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके संबंधित नियमों को विखंडित किया जा सकेगा;

और प्रबंध न्यासी और न्यास के अध्यक्ष के रूप में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक ने न्यास को विघटित करने की सम्यक प्रक्रिया शुरू की है और अन्य न्यासियों को सम्यक रूप से सूचित किया है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (फ) के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (झ), खंड (ड) और खंड (ढ) तथा धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, निम्नलिखित नियमों को विखंडित करती है, अर्थात्: -

(क) ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम प्रत्याभूति निधि) नियम, 2016; तथा

(ख) ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि) नियम, 2017

(2) यह विखंडन पहले से किए गए या वहन किए गए किसी भी कार्य की वैधता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणामों को या पहले से अर्जित प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, शीर्षक, बाहयता या दायित्वों को या उसके संबंध में किसी उपाय या कार्यवाही को, या किसी ऋण, शास्ति, बाहयता, दायित्व, दावे या मांग से निर्मुक्ती या उन्मोचन को, या पहले से ही प्रदान की गई किसी क्षतिपूर्ति को या किसी भी अतीत में किए गए कृत्य या वस्तु के प्रमाण को प्रभावित नहीं करेगा।

[फा. सं. 21/4/2019-ईसी]

धीरज कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2025

G.S.R. 926(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 56 read with clauses (l), (m) and (n) of sub-section (2) of section 13 and section 46 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, had notified *vide* G.S.R. 549(E), dated the 26th May 2016 the Energy Conservation (Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency) Rules, 2016 and *vide* G.S.R. 311(E) dated the 31st March, 2017, the Energy Conservation (Venture Capital Fund for Energy Efficiency) Rules, 2017;

And whereas aim of both funds was to accelerate the energy efficiency financing in India;

And whereas both the above funds were reviewed on 11th September, 2025 and it was decided to close these funds and their respective rules may be rescinded after completing the due process of dissolution of the Trust constituted for administering the fund;

And whereas Director General of Bureau of Energy Efficiency as the managing trustee and Chairman of the trust, has undertaken the due process of dissolution of the Trust and has duly intimated the other Trustees.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 56 read with clauses (l), (m) and (n) of sub-section (2) of section 13 and section 46 of the Energy Conservation Act, 2001, the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby rescinds the following rules, namely: -

(a) The Energy Conservation (Partial Risk Guarantee Fund for Energy Efficiency) Rules, 2016; and

(b) The Energy Conservation (Venture Capital Fund for Energy Efficiency) Rules, 2017.

(2) This rescission shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing.

[F. No. 21/4/2019-EC]

DHIRAJ KUMAR SRIVASTAVA, Chief Engineer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.12.31 15:57:38 +05'30'